



नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

आन्तरिक राजस्व विभाग

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बागलुङ

फोन नं.: ०६८-५२०१२९

०६८-५२००२९

Email: iro-baglung@ird.gov.np

Google plus code: 7J72+46

पत्र संख्या: २०८२/०८३

च.नं.:

२०८२/०८/२९

मिति: २०८०/०८/१३

ने.सं. ११४६ थिलागा एकादशी

आर्थिक ऐन, २०८२ ले प्रदान गरेका विशेष छुट तथा सुविधाहरू सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बागलुङको सूचना

| क्र.स. | दफा    | छुट तथा सुविधाहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १.     | दफा २४ | <p><u>सामाजिक संस्थालाई लाग्ने कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा व्याज मिन्हा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:</u></p> <p>संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था वा यातायात सम्बद्ध संघ संस्थालाई सम्बन्धित कर कार्यालयबाट संवत् २०८२ साल जेठ १५ गतेभन्दा अघि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र सालवसाली आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण भई बक्यौता रहेकोमा त्यस्तो करदाताले निर्धारण भएको कर संवत् २०८२ साल पुस मसान्तभित्र दाखिल गरेमा बाँकी व्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा हुनेछ ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २.     | दफा २५ | <p><u>मूल्य अभिवृद्धि करको जरिवाना, थप दस्तुर र व्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:-</u></p> <p>(१) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम दर्ता भएका करदाताले संवत् २०८१ साल चैत्र मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर नबुझाएको भए बुझाउन बाँकी कर विवरण, सो विवरण बमोजिमको कर र व्याजको पच्चिस प्रतिशत रकम संवत् २०८२ साल पुस मसान्तसम्ममा बुझाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी व्याज मिनाहा हुनेछ ।</p> <p>(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम संवत् २०८१ साल चैत्र मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाई कर दाखिल गर्न मात्र बाँकी रहेको करदाताले समेत बक्यौता कर र व्याजको पच्चिस प्रतिशत रकम संवत् २०८२ पुस मसान्त सम्ममा बुझाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी व्याज मिनाहा हुनेछ ।</p> |
| ३.     | दफा २६ | <p><u>अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:</u></p> <p>(१) अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १० क. बमोजिम अन्तःशुल्क निर्धारण र असुल गर्नुपर्ने दायित्व भएको इजाजतपत्रवालाले संवत् २०८१ साल चैत्र मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क विवरण, सो विवरण बमोजिम बुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क रकम र विलम्ब शुल्कको पचास प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८२ साल पुस मसान्तसम्ममा बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

आन्तरिक राजस्व विभाग

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बागलुङ

फोन नं.: ०६८-५२०१२९

०६८-५२००२९

Email: iro-baglung@ird.gov.np

Google plus code: 7J72+46

पत्र संख्या: २०८२/०८३

च.नं.:

२०८२/०८/२९

मिति: २०८०/०८/१३

ने.सं. ११४६ थिलागा एकादशी

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | (२) उपदफा(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम संवत् २०८१ साल चैत्र मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क विवरण बुझाई अन्तःशुल्क कर दाखिल गर्न मात्र बाँकी रहेको इजाजतपत्रवालाले समेत बक्यौता अन्तःशुल्क र विलम्ब शुल्कको पचास प्रतिशत रकम संवत् २०८२ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४. | दफा २८ | <p><u>आयविवरण पेश नगरेको अवस्थामा कर निर्धारण भएका करदाताहरूलाई छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्था:</u></p> <p>(१) आय विवरण पेश नगरेका व्यक्तिलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम विगतमा सम्बन्धित कर कार्यालयबाट कुनै आय वर्षको लागि संशोधित कर निर्धारण गरिएकोमा संशोधित कर निर्धारण पश्चात त्यस्तो व्यक्तिले आफूले बुझाउनु पर्ने सो आय वर्षको आय विवरण दाखिल गरी सो अनुसारको कर रकम बुझाईसकेको भए वा आय विवरण बुझाउन बाँकी रहेको भएमा समेत संवत् २०८२ साल पुस मसान्तभित्र आय विवरण बुझाई सो अनुसारको कर दाखिल गर्न सक्नेछ ।</p> <p>(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भइसकेको वा हुने आय विवरणको सम्बन्धमा सम्बन्धित कर कार्यालयबाट संवत् २०८३ साल आषाढ मसान्तभित्र कर परीक्षण गरी पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्न सकिनेछ । त्यस्तो अवस्थाको कर निर्धारणमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (४) र आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा (३) बमोजिमको हदम्याद लाग्ने छैन ।</p> <p>(३) उपदफा (१) बमोजिम दाखिल भएको कर विवरण सम्बन्धमा उपदफा (२) बमोजिम परीक्षण गरी पुनः संशोधित कर निर्धारण गरिएकोमा बाहेक कार्यालयबाट साबिकमा गरिएको संशोधित कर निर्धारण आदेश कार्यान्वयन गरिने छैन ।</p> |